<u>प्रतिवेद्य</u>

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

<u>सिविल अपील सं. 901/2022</u>

(एस एल पी (सी) सं. 9927/2020 से उत्पन्न)

न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) अपीलार्थी (गण)

बनाम

यूनुस और अन्य प्रत्यर्थी (गण)

के साथ

<u>सिविल अपील सं. 905/2022</u>

(एस.एल.पी (सी) संख्या – 9931/2020 से उत्पन्न)

<u>सिविल अपील सं. 904/2022</u>

(एस.एल.पी (सी) संख्या – 9928/2020 से उत्पन्न)

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

<u>सिविल अपील सं. 903/2022</u>

(एस.एल.पी (सी) संख्या – 9929/2020 से उत्पन्न)

<u>सिविल अपील सं. 906/2022</u>

(एस.एल.पी (सी) संख्या – 9932/2020 से उत्पन्न)

<u>सिविल अपील सं. 902/2022</u>

(एस.एल.पी (सी) संख्या – 9930/2020 से उत्पन्न)

<u>नि र्ण य</u>

<u>माननीय न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ,</u>

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. मामलों के इस समूह में, यह सवाल उठता है कि क्या विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 20 (जिसे एतस्मिनपश्चात् " अधिनियम 1987" कहा गया है) के अधीन लोक अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 28क (जिसे एतस्मिनपश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) के अधीन अनुध्यात प्रतिकर के पुनर्निर्धारण का आधार बना सकता है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण है कि लोक अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय वास्तव में

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अधिनियम की धारा 28 ए के तहत शक्ति के प्रयोग करने का उदाहरण बन सकता है।

3. अपीलकर्ता द्वारा चिंतन किए गए नियोजित औद्योगिक विकास के लिए तहसील दादरी (जिला गाजियाबाद में स्थिति) में स्थित गांवों के संबंध में 21.03.1983 को अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत एक अधिसूचना जारी की गई। भूमि अधिग्रहण अधिकारी के अधिनिर्णय से, जो 28.11.1984 को पारित किया गया था, *अन्य बातों के साथ–साथ यहां प्रत्यर्थियों से संबंधित भूमि के लिए प्रति बीघा 24,033 रुपये की दर से मुआवजा तय किया गया था*। प्रत्यर्थियों ने अधिनियम की धारा 18 के तहत वृद्धि की माँग नहीं की। एक फतेह मोहम्मद ने 28.11.1984 के अधिनिर्णय के खिलाफ संदर्भ मांगने के लिए एक आवेदन दायर किया।उक्त संदर्भ लोक अदालत को दिया गया था। उक्त संदर्भ को 6/02 की संख्या प्रदान की गई। लोक अदालत ने 12.03.2016 को एक अधिनिर्णय पारित किया। हम उक्त अधिनिर्णय की शर्तों को निर्धारित कर सकते हैं:

> "आज, मामला लोक अदालत के समक्ष रखा गया है। दावेदार फ़तेह मोहम्मद s/o उम्मेद खान अपने विद्वत अधिवक्ता श्री जितेंद्र माथुर के साथ और प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वत डी.जी.सी सिविल न्यायालय में मौजूद हैं। इस एल.ए.आर मामले की केस फाइल पहले ही अन्य एल.ए.आर मामलों की फाइलों के साथ क्लब/समेकित की जा चुकी है, अर्थात् एलएआर नंबर 07/2002 जवाल हुसैन बनाम यूपी राज्य और अन्य, एलएआर नंबर 08/2022 सलीमुद्दीन बनाम यूपी राज्य और अन्य और एलएआर नंबर 9/2002 के मोहक्कम सिंह बनाम यूपी राज्य और अन्य, को संबंधित न्यायालय द्वारा 268.2010 को पारित किया गया था और एलएआर नंबर 6/2002 की फाइल को अग्रणी मामला बनाया गया था। सुनवाई के दौरान, दोनों पक्षों ने सामूहिक रूप से आवेदन पत्र संख्या – 59Ga2 के साथ निस्तारण/समझौता अनुबंध और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

फोटोकॉपी सभी क्लबड एल.ए.आर को लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आवेदन दायर किया हैइसके अलावा, प्रत्यर्थियों की ओर से पेश जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल ने संबंधित पार्टी राज्य सरकार और नोएडा विकास प्राधिकरण के पत्रों (पेपर नंबर 61Ga2 और 62Ga2) की फोटोकॉपी दायर की है, जिसके तहत विद्वत जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल को प्राधिकरण और राज्य सरकार की ओर से मामले में समझौता/निस्तारण करने के लिए अधिकृत किया गया है।

सुना और केस फाइल का अवलोकन किया। उपलब्ध रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि वर्तमान संदर्भ दिनांक 28.11.1984 और माननीय उच्च न्यायालय के खिलाफ दायर किया गया है, जबकि सभी अपीलों को एक साथ क्लब/समेकित करते हुए, उनका निस्तारण किया गया है, जिससे संबंधित अधिकारियों को 297.50 प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजा निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। उक्त आदेश के आधार पर, दोनों पक्षों ने स्वेच्छा से निपटान/समझौता अनुबंध पत्र संख्या – 60Ka1 को निष्पादित, हस्ताक्षरित और सत्यापित किया है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

ऐसी स्थिति में, निपटान/समझौता अनुबंध पत्र संख्या – 60Ka1 के आधार पर निम्नलिखित आदेश पारित करके मामले को तय करना उचित और उपयुक्त है जो डिक्री का हिस्सा बनेगाः–

आदेशआदेश

पक्षकारों के द्वारा दाखिल निस्तारण/समझौता अनुबंध संख्या –60Ka1 के आधार पर त्वरित संदर्भ संख्या आदेश 6/2002 को निर्णीत किया जाता है। निस्तारण/समझौता अनुबंध डिक्री का एक हिस्सा होगा और मामले की परिस्थितियों में, प्रत्येक पक्ष अपनी लागत वहन करेगा।इस निर्णय की प्रत्येक प्रति LAR नंबर 7/2002, LAR नंबर 8/2002 और LAR नंबर 9/2002 की फाइल में रखी जाएगी।

4. जैसा कि स्पष्ट है, मुआवजा 20 रुपये प्रति वर्ग गज के स्थान पर 297 रुपये प्रति वर्ग गज तय किया गया था जो भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा उनके अधिनिर्णय दिनांक 28.11.1984 द्वारा तय किया गया था। इसके कारण प्रत्यर्थियों ने अधिनियम की धारा 28 ए के तहत आश्रय की मांग करते हुए

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर किए। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने इस आधार पर आवेदनों को खारिज कर दिया कि लोक अदालत द्वारा पारित 12.03.2016 का अधिनिर्णय समझौता के आधार पर था। इसके कारण प्रत्यर्थियों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की गईं। यह उक्त रिट याचिकाओं में है कि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णयों को यह कहते हुए पारित किया गया है कि लोक अदालत के अधिनिर्णय को सिविल न्यायालय का डिक्री माना जाएगा और फलस्वरूप, प्रतिवादी अधिनियम की धारा 28 ए को लागू करने के हकदार होंगे।

5. हमने अपीलकर्ता के लिए विद्वत अधिवक्ता श्री अनिल कौशिक को सुना है। हमने प्रत्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ विद्वत अधिवक्ता श्री ध्रुव मेहता और श्री वीके शुक्ला को भी सुना है।

6. अपीलार्थी के विद्वत अधिवक्ता बताते हैं कि धारा 28 क लागू करने के लिए उपलब्ध नहीं है जब अधिनियम के संदर्भ में न्यायालय द्वारा कोई निर्धारण नहीं किया जाता है। उन्होंने हमें यह प्रतिवाद करने के लिए अधिनियम में 'न्यायालय' शब्द की परिभाषा का उल्लेख किया कि धारा 28 क यह बताती है कि वह ऐसे न्यायालय द्वारा पारित एक अधिनिर्णय होना चाहिए।लोक अदालतों ने अपने तर्क में कहा कि 1987 अधिनियम की धारा 19 के तहत गठित किया है। उनका कोई सहायक या न्यायिक कार्य नहीं है। 1987 अधिनियम का उद्देश्य अन्य बातों के साथ साथ विवाद के समझौते के बारे में है।धारा 19 के तहत लोक अदालत का कार्य अनिवार्य रूप से समझौता कराना है।लोक

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अदालत का एक अधिनिर्णय, दूसरे शब्दों में, केवल पक्षकारों के बीच एक समझौता के बारे में निर्धारण करता है।इसलिए, इसे अधिनियम के तहत एक न्यायालय द्वारा एक अधिनिर्णय के रूप में नहीं माना जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि 1987 अधिनियम की धारा 21 में अभिगृहीत अवधाराणा का उस उद्देश्य तक सीमित किया जाना चाहिए जिसके लिए अवधारण को बनाया गया था।दूसरे शब्दों में, अधिनिर्णय को प्रवर्तनीयता के साथ बंद करने के लिए एक विधायी उपकरण के रूप में माने गये प्रावधान की सराहना की जानी चाहिए जैसे कि यह एक डिक्री थी।दूसरे शब्दों पर अपनी शर्तों में, लोक अदालत द्वारा पारित एक अधिनिर्णय अधिनियम की धारा 28 ए के तहत एक डिक्री नहीं है। उन्होंने पंजाब राज्य और अन्य बनाम जलोर सिंह और अन्य[1], भारत सरकार बनाम वेदांत लिमिटेड और अन्य[2] और अत्तर सिंह और एक अन्य बनाम भारत संघ और एक अन्य[3] में उनके तर्कों के समर्थन में उक्त निर्णयों पर अवलंब लिया।

7. उन्होंने आगे बताया कि उच्च न्यायालयों में इस विषय पर न्यायिक राय भिन्न– भिन्न है। उन्होंने उमादेवी राजकुमार ज्यूरे और अन्य बनाम जिला कलेक्टर और अन्य[4] 4 में रिपोर्ट किए गए निर्णय में बॉम्बे के उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए दृष्टिकोण की हमारी स्वीकृति के लिए सराहना की। उन्होंने कहा

---

1 (2008) 2 SCC 660

2 (2020) 10 SCC 1

3 (2009) 9 SCC 289

4 2021 SCC OnLine Bom 917

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

कि उच्च न्यायालयों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण जो इसके विपरीत है, और उसके द्वारा कानून में सही स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

8. उन्होंने मेरिट पर भी उनका एक तर्क है।वह बताते हैं कि उच्च न्यायालय ने प्रथम अपील संख्या 1100/04, मंगू और अन्य बनाम यूपी राज्य के रूप में 297 रूपये प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजा दिया।हालाँकि, यह उनका तर्क है कि जबकि मंगू का मामला वर्ष 1991 की अधिसूचना से उत्पन्न हुआ था, धारा 4 के तहत जारी पहले की अधिसूचना से उत्पन्न मामलों को एक सामान्य समूह के रूप में टैग करके सुना गया था।वह बताते हैं कि अपीलकर्ता द्वारा पुर्नविचार याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है।वह आगे कहते हैं कि वर्ष 1982 में, मुआवजा 20 रुपये प्रति वर्ग गज तय किया गया था।मुआवजे की इस गणना को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था और इससे अधिक क्या है, उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा उसी के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज करके अनुमोदित किया गया था।हालांकि, जिन तथ्यों का उचित तरीके से अवलोकन नहीं किया गया था, उनके आधार पर यह अधिनिर्णय लोक अदालत द्वारा पारित किया गया था।

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों के लिए विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह बताया पहले स्थान पर यह कि लोक अदालत द्वारा पुरस्कार के एक खंडन से पता चलता है कि अपीलकर्ता की ओर से एक स्थिर दर से बाहर निकलने के लिए यह पूरी तरह से अनुचित होगा, जो वास्तव में, उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर आधारित था (जाहिर तौर पर मंगू और अन्य में निर्णय)। यह श्री ध्रुव मेहता

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

द्वारा आगे बताया गया है, विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया है कि विधिक अवधारणा को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए।अक्सर उद्धृत चेतावनी यह है कि न्यायालयों को अपनी कल्पना को विधिक अवधारणा को उसके तार्किक अंत तक खींचने की संभावना से विचलित नहीं होने देना चाहिए।दूसरे शब्दों में, यह श्री ध्रुव मेहता का तर्क है कि इस तथ्य को देखते हुए कि लोक अदालत द्वारा पारित एक अधिनिर्णय को एक डिक्री के रूप में माना जाता है, यह बहुत कम मायने रखता है कि अधिनिर्णय का कारण उस प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है जो आमतौर पर अधिनियम की धारा 18 के तहत एक संदर्भ में के तहत आता है। अवधारणा का पूरा खेल होना चाहिए।इस प्रकार, दीवानी न्यायालय की डिक्री होने के कारण, लोक अदालत का अधिनिर्णय समान रूप से परिस्थितिजन्य व्यक्तियों को धारा 28क के लाभ का दावा करने के लिए दृढ़ नींव प्रदान करेगा। इस संबंध में, वह इंगित करेगा कि न्यायालय को समानता के भव्य आदेश से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए ताकि वह किस उत्कृष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सके, यह है कि विधायिका ने धारा 28क प्रथम स्थान पर रखा है।दूसरे शब्दों में, उन व्यक्तियों को उचित मुआवजा उपलब्ध कराने के उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जो अपनी अज्ञानता से एक बड़े हिस्से में, निरक्षरता, गरीबी और पिछड़ेपन को पोषित करते है, इस अधिनियम के तहत उनके लिए दिये गये उपचार का वह अनुसरण नहीं करते है और उनको समान परिस्थितियों वालें व्यक्तियों की तरह मुआवजे को बढ़ाने के लिए पारित किए गये अधिनिर्णय के आधार पर एक अवसर का रास्ता प्रदान किया गया है। वह

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

बताते हैं कि कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी भूमि उसी अधिसूचना के तहत अधिग्रहित की गई है जैसा कि फतेह मोहम्मद की भूमि की गई थी।वह आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 21 में कहा गया है कि लोक अदालत का उक्त अधिनिर्णय अन्य बातों के साथ –साथ किसी अन्य न्यायालय के आदेश के रूप में माना जाता है 'जैसा भी मामला हो' ।यह तर्क प्रतीत होता है कि धारा 21 अधिनियम की धारा 18 के तहत न्यायालय के आदेश के रूप में लोक अदालत के अधिनिर्णय को अपने दायरे में लेने के लिए पर्याप्त है। दूसरे शब्दों में , लोक अदालत का अधिनिर्णय भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा दिए गए मुआवजे को बढ़ाने वाले न्यायालय का एक आदेश बन जाएगा।वह अंततः किसी भी दर पर प्रतिवाद करेगा, कि इस न्यायालय को उत्तरदाताओं के खिलाफ रखने के लिए इच्छुक होना चाहिए, जबकि यह न्यायालय कानून की घोषणा कर सकता है, यह अभी भी संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपीलकर्ता के पक्ष में विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है।इस संबंध में, उन्होंने एलआरएस बनाम सलाबिन मोहम्मद[5] द्वारा ताहेरा खातून (डी) में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

10. श्री वी. के. शुक्ला, विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा समान एवं अनिवार्य दलीले प्रस्तुत की गई।वह, विशेष रूप से, उन तथ्यों को उजागर करेगा जिनके कारण लोक अदालत द्वारा अधिनिर्णय पारित किया गया था, अर्थात्,

---

5(1999) 2 SCC 635

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अपीलकर्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर मुआवजा 297 रुपये प्रति वर्ग गज तय किया जा सकता है जो प्रचलित था। यह तथ्य, वह बताते हैं, इस न्यायालय द्वारा अनदेखी नहीं की जा सकती है।वह यह भी प्रस्तुत करेगा कि लोक अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय अधिनियम की धारा 28 क के तहत एक आवेदन की आवश्यकता को पूरा करेगा। उन्होंने आगे लोक अदालत की शक्तियों पर ध्यान आकर्षित किया।

विश्लेषण

11. हम 1987 अधिनियम की योजना का उल्लेख कर सकते हैं, धारा 2 (ए) 'मामले' को परिभाषित करती हैः

(क) "वाद" के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष वाद या कोई कार्यवाही सम्मिलित है

धारा 2 (एएए) 'न्यायालय' को परिभाषित करती हैः

(ककक) 'न्यायालय' से तात्पर्य कोई सिविल, क्रिमिनल या राजस्व न्यायालय और कोइ न्यायाधिकरण या कोइ विधि द्वारा स्थापित ऐसा प्राधिकरण सहित जो उस तत्कालिक समय न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक कार्यो का निर्वाहन कर सके।

धारा 2 (डी) लोक अदालत को अध्याय V। के तहत आयोजित लोक अदालत के रूप में परिभाषित करती है।

12. अध्याय 6 में धारा 19 से 22 शामिल हैं।धारा 19 (1) ऐसे अंतराल और स्थानों पर आयोजित की जा रही लोक अदालतों पर विचार करती है और ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए और ऐसे क्षेत्रों के लिए जो उसमें उल्लिखित

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

प्रासंगिक निकायों द्वारा उपयुक्त समझे जाते हैं।धारा 19 (2) महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें लोक अदालत की संरचना का उपबंध हैयह इस प्रकार हैः

(2) किसी क्षेत्र के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत में ऐसी संख्या शामिल होगीः

(क) सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और

(ख) राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या क्षेत्र के अन्य व्यक्ति यथास्थिति, तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा ऐसी लोक अदालतों का आयोजन करती है।

उप–धारा (3) खंड (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों के अनुभव और योग्यता से निस्तारण के लिए जाती है।

उप–धारा (5) फिर से प्रासंगिक है क्योंकि यह लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र को इंगित करता हैः

(5) लोक अदालत को निम्नलिखित के संबंध में विवाद के लिए पक्षकारों के बीच समझौता या समझौता करने का अवधारण करने और पहुंचने की अधिकारिता होगी:

(i) पहले लंबित कोई मामला या

(ii) कोई मामला जो किसी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर आता है और उसके समक्ष नहीं लाया जाता है, जिसके लिए लोक न्यायालय का आयोजन किया जाता है।

बशर्ते कि लोक अदालत के पास किसी ऐसे मामले या मामले के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जो किसी ऐसे अपराध से संबंधित है जो किसी कानून के तहत शमनीय नहीं है।

13. धारा 20 को धारा 19 (5) और धारा 21 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। धारा 20 इस प्रकार हैः

धारा 20 लोक अदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान

(1) जहां धारा 19–(i) की उपधारा (5) के खंड (i) में निर्दिष्ट किसी भी मामले में

(i) (क) इसके पक्षकार सहमत हैं या

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(ख) उसमें से एक पक्षकार मामले को लोक न्यायालय में निस्तारण के लिए निर्दिष्ट करने के लिए न्यायालय में आवेदन करता है और यदि ऐसा न्यायालय प्रथमदृष्टया इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे निस्तारण की संभावना है या

(ii) यदि न्यायालय संतुष्ट है कि मामला लोक न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाना समुचित है, न्यायालय मामले को लोक न्यायालय को निर्दिष्ट करेगाः बशर्ते कि पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के अलावा ऐसी न्यायालय द्वारा खंड (i) या खंड (ii) के उप–खंड (बी) के तहत कोई भी मामला लोक न्यायालय में नहीं भेजा जाएगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन लोक अदालत का आयोजन करने वाला प्राधिकरण या समिति धारा 19 की उपधारा (5) के खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी विषय के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार से आवेदन प्राप्त होने पर, कि ऐसे मामले का अवधारण लोक अदालत द्वारा किया जाना आवश्यक है, अवधारण के लिए ऐसे मामले को लोक अदालत को निर्दिष्ट करें परंतु यह कि किसी अन्य पक्षकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के सिवाय कोई मामला लोक अदालत को निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा

(3) जहां किसी मामले को उपधारा (1) के अधीन लोक अदालत में निर्दिष्ट किया जाता है या जहां उपधारा (2) के अधीन उसे निर्देश किया गया है वहां लोक अदालत मामले का निस्तारण करने के लिए आगे बढ़ेगी और पक्षकारों के बीच समझौता या समाधान करेगी।

(4) प्रत्येक लोक अदालत, इस अधिनियम के तहत इसके समक्ष किसी भी संदर्भ का निर्धारण करते समय, पक्षकारों के मध्य समझौता या निस्तारण करने के लिए अत्यंत अभियान के साथ कार्य करेगी और न्याय, साम्य, निष्पक्ष कार्य करना और अन्य कानूनी सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी।

(5) जहां लोक न्यायालय द्वारा इस आधार पर कोई अधिनिर्णय नहीं दिया जाता है कि पक्षकारों के बीच कोई समझौता या निस्तारण नहीं हो सकता है, वहां मामले का अभिलेख उसके द्वारा न्यायालय को वापस कर दिया जाएगा, जहां से निर्देश विधि के अनुसार निस्तरण के लिए उपधारा (1) के तहत प्राप्त हुआ है।

(6) जहां लोक न्यायालय द्वारा इस आधार पर कोई अधिनिर्णय नहीं दिया जाता है कि उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी मामले में पक्षकारों के बीच कोई समझौता या

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

निस्तारण नहीं हो सकता है, वहां लोक न्यायालय पक्षकारों को किसी न्यायालय में उपचार लेने की सलाह देगी।

(7) जहां मामले का अभिलेख उपधारा (5) के अधीन न्यायालय को वापस कर दिया जाता है, वहां ऐसी न्यायालय उपधारा (1) के अधीन ऐसे निर्देश पर कार्यवाही करने के लिए आगे बढ़ेगी। "

14. धारा 21 लोक अदालत द्वारा अंतिम निर्णय का प्रावधान करती है और यह इस प्रकार हैः

धारा 21. लोक अदालत के अधिनिर्णय

(1) लोक न्यायालय का प्रत्येक अधिनिर्णय किसी सिविल न्यायालय का डिक्री समझा जाएगा या जैसी भी स्थिति हो, किसी अन्य न्यायालय का आदेश समझा जाएगा और जहां धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट किसी मामले में लोक न्यायालय द्वारा समझौता या निस्तारण किया गया है वहां ऐसे मामले में संदत्त न्यायालय फीस का भुगतान न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) के अधीन उपबंधित रीति से किया जाएगा

(2) लोक न्यायालय द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम और विवाद के लिए सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा, और कोई अपील अधिनिर्णय के खिलाफ किसी भी न्यायालय में झूठी नहीं होगी।

15. श्री वी. एस. शुक्ला ने 1987 के अधिनियम की धारा 22 को भी इंगित किया जिसके तहत लोक अदालतों को दीवानी न्यायालय में निहित शक्ति है जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है।

धारा 22:

धारा 22. लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत की शक्तियाँ

(1) लोक अदालत या स्थायी लोक अदालतट को, इस अधिनियम के अधीन कोई अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय में वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों के संबंध में निहित होती हैं, अर्थात्: –

(क) किसी साक्षी को समन करना तथा हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना;

(ग) शपथ–पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज अथवा ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अध्यपेक्षा करना; और

(ङ) ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाएं ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक [लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत] को अपने समक्ष आने वाले किसी विवाद के अवधारण के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षित शक्तियां होंगी ।

(3)[लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत] के समक्ष सभी कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193, धारा 219 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी और प्रत्येक 3[लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत] दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय समझी जाएगी।

16. यह ध्यान रखना मनोंरजंक होगा कि अध्याय VI (A) 2002 के अधिनियम 37 द्वारा 11.06.2002 से जोड़ा गया था।इसके आधार पर, कुछ सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में स्थायी लोक अदालतों पर विचार किया गया है। केवल यह कहना पर्याप्त है कि लोक अदालत से भिन्न, धारा 22C उप–धारा (8) इस बात की व्याख्या करती है कि जब पक्ष किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं, तो स्थायी लोक अदालत कर्तव्य से बाध्य होती है, विवाद का निर्णय करने के लिए यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है।

<u>अधिनियम की योजना</u>

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

17. अधिनियम भूमि के अधिग्रहण और उसके तहत प्रदान किए जाने वाले मुआवजे का प्रावधान करता है।

कार्यवाही धारा 4 के तहत एक अधिसूचना द्वारा शुरू की जाती है। मुआवजा उक्त अधिसूचना की तारीख के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद, एक अधिनिर्णय पारित किया जाता है।जबकि धारा 18 में भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा दी गई राशि से असंतुष्ट व्यक्ति के साथ अधिकार का प्रावधान है,जिसमें वह राशि में वृद्धि की माँग करता है तो उस पर धारा 28क उन स्थितियों पर विचार करता है जहां किसी व्यक्ति ने धारा 18 के तहत अधिकार का लाभ नहीं उठाया है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति ने प्रावधानों का उपयोग किया है।धारा 28क में अभिप्राप्त अन्य शर्तें यदि उपलब्ध है तो ऐसा व्यक्ति जिसने अन्य बातों के साथ धारा 18 के अधीन आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है तो वह प्रतिकर के पुर्निर्धारण का दावा करने का हकदार है धारा 28A पर ध्यान दिया जा सकता हैः

> 28क– न्यायालय के पुरस्कार के आधार पर मुआवजे की राशि का पुनः निर्धारण।–(1) जहां इस भाग के तहत एक पुरस्कार में, न्यायालय आवेदक को धारा 11 के तहत कलेक्टर द्वारा दी गई राशि से अधिक मुआवजे की किसी भी राशि की अनुमति देती है, धारा 4, उप–धारा (1) के तहत एक ही अधिसूचना द्वारा कवर की गई अन्य सभी भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्ति और जो कलेक्टर के अधिनिर्णय से भी व्यथित हैं, इस बात के बावजूद कि उन्होंने धारा

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

18 के तहत कलेक्टर को एक आवेदन नहीं किया था, न्यायालय के पुरस्कार की तारीख से तीन महीने के भीतर कलेक्टर को लिखित आवेदन करके आवश्यक है कि उन्हें देय मुआवजे की राशि न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि के आधार पर फिर से निर्धारित की जा सकती हैः

बशर्ते कि तीन महीने की अवधि की गणना में , जिसके भीतर कलेक्टर को एक आवेदन इस उप–धारा के तहत किया जाएगा, जिस दिन अधिनिर्णय का उच्चारण किया गया था और अधिनिर्णय की एक प्रति प्राप्त करने के लिए उपेक्षित हो, अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(2). कलक्टर, उपधार (1) के अधीन आवेदन के प्राप्त होने पर, सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना देने और उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात, जाँच करेगा और आवेदको को संदेय प्रतिकर की रकम अवधारित करते हुए अधिनिर्णय केरगा

(3) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने उपधारा (2) के अधीन अधिनिर्णय स्वीकार नहीं किया है, कलक्टर से लिखित आवेदन करके यह अपेक्षा कर सकेगा कि उस मामले को न्यायालय के अवधारण के लिए कलक्टर द्वारा निर्देशित किया जाए और धारा 18 से धारा

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

28 के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे निर्देश को वेसे ही होंगे जैसे वे धारा 18 के अधीन किसी निर्देश को लागू हेाते है।

अधिनियम के तहत परिभाषित 'न्यायालय' इस प्रकार हैः

(घ) "न्यायालय" पद से आरम्भिक अधिकारिता का एक प्रधान सिविल न्यायालय अभिप्रेत है जब तक कि समुचित सरकार ने इस अधिनियम के अधीन न्यायालय के कृत्य करने के लिए किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर एक विशेष न्यायिक अधिकारी नियुक्त नहीं किया है (जिसे वह करने के लिए एतद्वारा सशक्त है)

उच्च न्यायालयों के दृष्टिकोण में परिवर्तन

18. वासुदेव बनाम आयुक्त और सचिव सरकार, राजस्व विभाग और अन्य[6] में, कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने यह दृष्टिकोण दिया कि नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 89 द्वारा निर्देशित किया गया था और यह तथ्य कि लोक अदालत के पुरस्कार को दीवानी न्यायालय का एक डिक्री माना जोयगा। विद्वत कि एकल न्यायाधीश ने धारा 28 ए को पेश करने के इरादे पर भी विचार किया और यह विचार किया कि प्रावधान समानता खंड के अनुरूप है।न्यायालय ने यह दृष्टिकोण दिया कि लोक अदालत द्वारा सहमति से पारित पुरस्कार धारा 28 ए के तहत आता है।

---

6 ILR 2007 KAR 4533

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

19. हालांकि, चनाबसप्पा और अन्य बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी[7] में रिपोर्ट किए गए निर्णय में उसी न्यायालय के एक अन्य विद्वत एकल न्यायाधीश ने यह विचार किया कि अधिनियम की धारा 28A (3) को लागू करने के लिए, धारा 28A (2) के तहत एक अधिनिर्णय होना चाहिए। उन्होंने आगे यह मत व्यक्त किया कि अधिनियम के भाग 3 के अधीन न्यायालय द्वारा पारित किसी अधिनिर्णय का अस्तित्व धारा 28 क के अधीन आवेदन करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त थी। लोक अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय सहमति से पाया गया ।नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य[8] 2014 एससी ऑनलाइन बॉम्बे 4091 के निर्णय में, 03.11.2014 को बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने केवल अवधारित किया कि लोक अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय में डिक्री की शक्ति है और धारा 28 ए के तहत एक आवेदन के द्वाराा ऐसे अधिनिर्णय की स्थापना की जा सकती है। यह आगे कहा गया है कि इस दृष्टिकोण की पुष्टि उच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में की है।

20. केरल उच्च न्यायालय के एक विद्वत एकल न्यायाधीश ने थैंकम्मा मैथ्यू बनाम केरल राज्य और अन्य[9] में रिपोर्ट किए गए निर्णय में 1987 अधिनियम के प्रावधानों पर अधिक विस्तार से विचार किया।विद्वत एकल न्यायाधीश 1987 अधिनियम की धारा 21 के तहत अवधारण वाले प्रावधान के दायरे और प्रभाव

---

7 ILR 2011 KAR 4276

8 (2014) SCC OnLine Bom 4091

9 (2017) 2 KLT 1023

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

से निर्देशित था।उन्होंने केएन गोविंदन कुट्टी मेनन बनाम सीडी शाजी[10] में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया।

21. मुख्य रूप से अधिनिर्णय एक सिविल न्यायालय की एक मानी गई डिक्री होने के आधार पर, उन्होंने पाया कि धारा 28A उन सभी मामलों में लागू होती है जहां एक अधिनिर्णय में न्यायालय आवेदक को कलेक्टर द्वारा दिए गए पुरस्कार से अधिक मुआवजे की अनुमति देता है और इस न्यायालय के कथन के मद्देनजर सिविल न्यायालय द्वारा पारित एक डिक्री और लोक अदालत के पुरस्कार के बीच कोई अंतर नहीं है।हालांकि, हाल के एक फैसले में, उमादेवी राजकुमार ज्यूरे और अन्य बनाम जिला कलेक्टर और अन्य[11] में, बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इस मामले पर बहुत विस्तार से विचार करने का अवसर दिया है।

उक्त मामले में अधिनियम की धारा 18 के तहत एक संदर्भ में एक लोक अदालत द्वारा एक अधिनिर्णय दिया गया था। उक्त अधिनिर्णय के आधार पर धारा 28 ए के तहत आवेदन दायर किया गया था। खण्ड पीठ ने दोनों अधिनियमों का काफी विस्तार से उल्लेख किया। न्यायालय ने पाया कि लोक अदालतों का उद्देश्य एक समझौता कराना था और इसमें कोई सहायक या न्यायिक कार्य नहीं थे।हम निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करने के लिए इसे उपयुक्त पाते हैं:

> 15. यह सब इंगित करता है कि लोक अदालत द्वारा विवाद के निर्धारण के परिणामस्वरूप विवाद के पक्षकारों के लिए विशेष रूप से परिणाम होते हैं।सन्दर्भित

10 (2012) 2 SCC 51

11 (2021) 4 AIR Bom R 626

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

न्यायालय या ऐसा न्यायालय जिसके लोक अदालत का गठन किया जाता है, वह उसकी कोई भूमिका नहीं है क्योंकिं ऐसे निर्धारण का संबध है।वास्तव में, एल.एस.ए अधिनियम की धारा 19 (5) के खंड (ii) के तहत एक संदर्भ के मामले में, यह लोक अदालत का आयोजन करने वाला प्राधिकरण या समिति है, जो स्वयं लोक अदालत के वाद को या मामले को संदर्भित करती है।न्यायालय, जिसके लिए ऐसी लोक अदालत का गठन किया जाता है, संदर्भ के स्तर पर भी चिंतित नहीं है।लोक न्यायालय द्वारा दिए गए अधिनिर्णय को उसे अपने डिक्री का हिस्सा बनाने के लिए उस न्यायालय में वापस जाने की आवश्यकता नहीं है।यह अधिनिर्णय स्वयं पक्षकारों के मध्य अंतिम और बाध्यकारी (और अपील योग्य नहीं) है।यह एक सिविल न्यायालय का एक डिक्री माना जाता है और इस तरह से निष्पादन योग्य है।लोक अदालत द्वारा पारित एक पुरस्कार को उस न्यायालय के एक डीम्ड डिक्री के रूप में मानने के लिए वस्तुओं की इस योजना में कुछ भी नहीं है जिसने लोक न्यायालय का संदर्भ दिया था या जिसके लिए लोक न्यायालय का गठन किया गया था।एल.ए अधिनियम के संदर्भ में, और विशेष रूप से धारा 28क के प्रयोजनों के लिए, "दीवानी न्यायालय की डिक्री" की कल्पना को न केवल लोक न्यायालय को संदर्भित करने वाले न्यायालय के एक डिक्री तक बढ़ाया जाना होगा या जिसके लिए ऐसी लोक न्यायालय का आयोजन किया जाता है,लोक न्यायालय को संदर्भित करने वाले न्यायालय के एक डिक्री तक बढ़ाया जाना होगा या जिसके लिए ऐसी लोक न्यायालय का आयोजन किया जाता है, लेकिन ऐसी न्यायालय ने इसे ला अधिनियम के भाग III के तहत पारित किया है, ताकि तीसरे पक्ष के लिए परिणाम हो सके।यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि यदि अधिनिर्णय भूमि अधिग्रहण के मामले में मुआवजा विवाद में है, तो किसी भी तीसरे पक्ष को एलए अधिनियम की धारा 28क के तहत अपने मुआवजे के पुनः निर्धारण के लिए आवेदन करने का हकदार होना चाहिए। सिद्धांत के रूप में, यह कहना संभव नहीं है कि घटना (यानी लोक अदालत द्वारा अधिनिर्णय पारित करने के बाद अपने स्वयं के मुआवजे के पुनः निर्धारण के लिए आवेदन करने के लिए किसी तीसरे पक्ष का हक) अनिवार्य रूप से एक कोरोलरी या परिणाम के रूप में इस तरह के अधिनिर्णय प्राप्त होगा।

xxx xxx xxx

20. यदि यह परिणाम, अर्थात्, लोक न्यायालय के अधिनिर्णय को भाग III के तहत संदर्भ न्यायालय के एक अधिनिर्णय के रूप में माना जाता है, तो एक अपरिहार्य अनुक्रम के रूप में पालन नहीं करता है, ऐसे परिणाम पर आने के लिए एलएसए अधिनियम की धारा 21 में निहित कानूनी कल्पना को वास्तव में दो अन्य

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अवधारणाओं को मानने के लिए बढ़ाया जाना होगा, अर्थात्, लोक न्यायालय के अधिनिर्णय को माना जाना चाहिए (i) 'न्यायालय की एक डिक्री जिसने मामले को लोक न्यायालय को संदर्भित किया है', और (ii) 'भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के भाग III के तहत पारित एक डिक्री।'वह, हमें डर है, सदन के. बोरमल के मामले (उपरोक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा बताए गए कानून के तहत अभेद्य है। यह कानूनी कथा साहित्य का कृत्रिम विस्तार होगा न कि मूल वैधानिक कथा साहित्य का आवश्यक आधार यह मूल कथा साहित्य को अपने वैधानिक उद्देश्य से परे विस्तारित करेगा। "

22. न्यायालय ने सिंगरकोंडा सुरेखा बनाम जीवी शर्मा और अन्य[12] में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को इस आधार पर विभेद किया कि यह इस आधार पर भिन्न था कि, उक्त मामले में, संदर्भ न्यायालय ने लोक अदालत के समक्ष पक्षकारों के बीच समझौता होने के आधार पर एक पुरस्कार पारित किया था और इसलिए, यह अधिनियम के भाग III के तहत संदर्भ न्यायालय द्वारा किए गए एक पुरस्कार का मामला था।

23. इसलिए, सिंगरकोंडा सुरेखा उपरोक्त में रिपोर्ट किए गए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय पर ध्यान देना उचित है।उक्त मामले में, हम देखते हैं कि अधिनियम की धारा 18 के तहत एक संदर्भ था। उप–न्यायालय, गुडूर ने 31.07.1995 के अपने फैसले से बाजार मूल्य में वृद्धि की और सभी वैधानिक लाभों को छोड़कर उस भूमि के प्रति एकड़ 60,000 रुपये की दर से बाजार मूल्य तय किया। श्रीहरिकोटा में एक लोक अदालत आयोजित की गई थी जिसमें उपरोक्त दरों पर निर्धारित बाजार मूल्य की सिफारिश की गई थी लेकिन वैधानिक लाभों से इनकार किया गया था।यह आगे कहा गया है कि

12 2003 SCC Online AP 21

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

31.07.1995 को लोक अदालत द्वारा अनुशंसित दरों को बढ़ाते हुए डिक्री पारित की गई थी।तत्पश्चात यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा धारा 28A के तहत आवेदन दायर किए गए थे। न्यायालय ने अधिनियम,1987 की धारा 19 (5), 21 और 22 का उल्लेख किया और पाया कि प्रत्यर्थी लोक अदालत के समक्ष निस्तरण या समझौता करने के लिए विधि का सहारा लेकर धारा 28 ए के लाभ का दावा करने पर याचिकाकर्ता के विधिक अधिकार को नहीं हरा सकते थे। जिसके बल पर डिक्री पारित की गई थी।यह आगे पाया गया कि न्यायालय ने केवल एक समझौते के बल पर इस तरह का पुरस्कार दिया था, जो किसी भी तरह से स्थिति को नहीं बदलेगा।

24. थॉमस जॉब बनाम थॉमस[13] में, केरल उच्च न्यायालय के एक विद्वत एकल न्यायाधीश ने यह दृष्टिकोण दिया कि अवधरणा की किसी भी व्याख्या द्वारा, यह नहीं माना जा सकता है कि धारा 21 में बनाए गए कानूनी कथा के बावजूद लोक अदालत द्वारा पारित एक पुरस्कार को एक दीवानी न्यायालय द्वारा पारित समझौता डिक्री के रूप में माना जा सकता है।यह पाया गया है कि एक लोक अदालत एक अदालत नहीं है लोक अदालत केवल एक समझौते को प्रमाणित करती है।यह पाया गया है कि सिविल न्यायालय पुरस्कार की शर्तों को अलग नहीं कर सकता है या पार्टियों के बीच एक पुरस्कार के लिए सहमत समय का विस्तार नहीं कर सकता है।

---

13 2003 (3) KLT 936

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

25. प्रावधानों को निर्धारित करने और निर्णयों को संदर्भित करने के बाद, हम संबंधित तर्कों पर विचार कर सकते हैं जो न्यायालय के समक्ष उठाए जाते हैं।

निष्कर्ष

26. 1987 के अधिनियम की अन्य बातों के साथ–साथ जैसा कि अधिनियम की प्रस्तावना से देखा जा सकता है, लोक अदालतों का संगठन भी है।किसी भी संदेह की छाया से परे यह स्पष्ट है कि धारा 20 के तहत लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र एक मामले में पक्षों के बीच विवादों के निस्तारण की सुविधा के लिए है।इसकी कोई सहायक भूमिका नहीं है।यह एक वाद को तय नहीं कर सकता है। यह सब जो कर सकता है वह वास्तविक निस्तारण या समझौता करना है।धारा 20 की उप–धारा (4) महत्वपूर्ण है क्योंकि कानून देने वाले ने लोक अदालत के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए हैं।ये सिद्धांत न्याय, समानता, निष्पक्ष खेल और अन्य कानूनी सिद्धांत हैं।इस प्रावधान का महत्व तब बड़ा होता है जब न्यायालय अधिनियम की धारा 28 ए की योजना को ध्यान में रखता है।

27. अधिनियम की धारा 28 क की योजना अपने शुरुआती शब्दों से बिना त्रुटि के स्पष्ट है।धारा 28 क यह बताती है वह भाग III के अधीन पारित किसी अधिनिर्णय के अधीन प्रतिकर का पुर्ननिर्धारण है तो वह भाग III के तहत धारा 23 में आता है धारा 23 उन मामलों पर विचार करती है जिन्हें ध्यान में रखा जाना है।धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना की तारीख को बाजार मूल्य सहित

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

विभिन्न पहलुओं को इंगित किया गया है।हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि धारा 23 के तत्व '1987 अधिनियम' की धारा 19 (4) में निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं, जो लोक अदालत का मार्गदर्शन करने के लिए हैं। जब न्यायालय धारा 18 के तहत मामले से निपटती है, तो दूसरे शब्दों में, यह सबूतों पर गौर करने और कानूनी सिद्धांतों को लागू करने वाले सबूतों के आधार पर निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए बाध्य है, जो मुआवजे पर पहुंचे हैं। जबकि यह सच हो सकता है कि 1987 अधिनियम की धारा 19 (4) में 'अन्य कानूनी सिद्धांतों' का संदर्भ है, लोक अदालत भी न्याय, साम्या और निष्पक्ष भागीदारी के सिद्धांतों के आलोक में मांग सकती है।व्यक्त प्रावधानों के आधार पर लोक अदालत केवल उन मामलों के संबंध में निस्तारण और समझौता करने का एक सहायक है जो इसे संदर्भित किया जाता है।इसकी कोई सहायक भूमिका नहीं है (देखें पंजाब राज्य और अन्य वी जलोर सिंह एंड अन्य (उपरोक्त))। भारत संघ बनाम अनंतो (मृत) और अन्य[14] में, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ निम्नानुसार अवधारित किया:

> 7. धारा 20 की उपधारा (3) में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट भाषा यह स्पष्ट करती है कि लोक अदालत पक्षकारों के बीच समझौता या समझौता के माध्यम से किसी मामले का निस्तारण कर सकती है।धारा 20 की उपधारा (3) और (5) में दो महत्वपूर्ण पद "समझौता" और "निस्तारण" हैं। पूर्व अभिव्यक्ति का अर्थ है आपसी रियायतों द्वारा मतभेदों का निपटारा।यह मांगों के पारस्परिक संशोधन द्वारा परस्पर विरोधी या विरोधी दावों के समायोजन द्वारा किया गया एक समझौता है।डे ला ले टर्म्स के अनुसार, "समझौता दो या दो से अधिक पक्षों का आपसी वादा है जो विवाद में हैं।"बौवियर के अनुसार यह "दो या अधिक व्यक्तियों के बीच एक करार है, जो किसी विधि वाद से बचने के लिए अपने मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से ऐसे निबंधनों पर

14 (2007) 10 SC 748

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

सुलझा लेते हैं, जिन पर वे सहमत हो सकते हैं" "समझौता" शब्द से प्रत्येक पक्ष में आवास के कुछ तत्व अभिप्रेत हैंसम्पूर्ण आत्मसमर्पण का वर्णन करना उपयुक्त नहीं है।[देखें रे एनएफयू डेवलपमेंट ट्रस्ट लिमिटेड [1973] 1 ऑल ईआर 135 (सीएचडी)]।एक समझौता हमेशा द्विपक्षीय होता है और इसका मतलब आपसी समायोजन होता है।"समझौता" पारस्परिक सहमति से विधिक कार्यवाहियों की समाप्ति हैवर्तमान मामले में समझौता या निस्तारण शामिल नहीं था और लोक अदालत द्वारा निपटाया नहीं जा सकता था।यदि कोई समझौता या निस्तारण नहीं हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो लोक अदालत द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।इसलिए, लोक अदालतों के आदेश के विलय का सवाल ही नहीं उठता। "

28. प्रत्यर्थियों के लिए विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ध्रुव मेहता द्वारा एक तर्क दिया गया था, कि लोक अदालत ने अपीलकर्ता के रुख को प्रकट किया है और यह नोएडा, नोएडा की सहमति के आधार पर सहमति व्यक्त की जा रही है।इस संबंध में, उन्होंने पीटी थॉमस बनाम थॉमस जॉब[15] में इस न्यायालय के निर्णय पर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

29. हम इस तर्क में कोई योग्यता नहीं देखते हैं।इस न्यायालय द्वारा जो निर्धारित किया गया है, वह इस संबंध में पूर्वोक्त निर्णय में देखा जा सकता हैः

शैलेन्द्र नारायण भांजा देव बनाम उड़ीसा राज्य, एआईआर 1956 उच्चतम न्यायालय 346, (संविधान पीठ) में निम्नानुसार आयोजित किया गयाः

सहमति या डिफ़ॉल्ट रूप से एक निर्णय एक निर्णय के रूप में पार्टियों के बीच एक विवंधन के रूप में प्रभावी है, जिसके तहत न्यायालय एक चुनाव वाले मामले पर अपने दिमाग का उपयोग करती है। (1895) 1 Ch. 37 & amp 1929 AC 482,

इन-'री साउथ अमेरिकन एंड मैक्सिकन कंपनी, एक्स. पार्ट बैंक ऑफ इंग्लैंड', (1895) 1 सीएच 37 (सी) में, यह माना गया है कि सहमति या डिफ़ॉल्ट रूप से एक निर्णय पार्टियों के बीच एक निर्णय के रूप में प्रभावी है, जिसके तहत न्यायालय

15 AIR 2005 SC 3575

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

एक चुनाव वाले मामले पर अपने दिमाग का उपयोग करता है।वॉन विलियम्स के फैसले का समर्थन करते हुए, जे लॉर्ड हर्शेल ने पृष्ठ 50 पर कहाः

सच्चाई यह है कि सहमति से एक निर्णय का उद्देश्य पक्षकारों के बीच मुकदमेबाजी पर रोक लगाना है, जितना कि एक निर्णय है जो मामले के अंत तक लड़ने के बाद न्यायालय के निर्णय से होता है।

और मुझे लगता है कि यह बहुत शरारती होगा यदि कोई इस तरह के निर्णयों की उचित और तार्किक व्याख्या नहीं देता, और उन सवालों की अनुमति देता, जो वास्तव में बाद की कार्रवाई में फिर से लड़े जाने के लिए कार्रवाई में शामिल थे। '

इसी तरह के प्रभाव 'किंच बनाम वालवोट', 1929 एसी 482 पृष्ठ 493 (डी) में न्यायिक समिति की निम्नलिखित टिप्पणियां हैं– –

सबसे पहले, न्यायमूर्ति को यह स्पष्ट हैं कि विवधंन की इस दलील के संबंध में यह अपीलकर्ता के लिए कोई फायदा नहीं है कि परिवाद कार्रवाई में आदेश जो इसे बढ़ाने के लिए कहा जाता है, एक सहमति आदेश था।इस तरह के उद्देश्य के लिए सहमति के आदेश, आपसी समझौते द्वारा निर्वहन नहीं किया जाता है, और अपरिवर्तित रहता है, न्यायालय के एक आदेश के रूप में उतना ही प्रभावी है जितना कि सहमति से अन्यथा किया गया है और अपील पर छुट्टी नहीं दी गई है। '

इस न्यायालय ने जो निर्धारित किया है वह यह है कि जब सहमति की डिक्री होती है, तो सहमति डिक्री के पक्षकारों को इसके प्रभाव से दूर करने से इसकी शर्तों से अस्वीकृत कर दिया जाएगा।उक्त प्रस्ताव के साथ कोई झगड़ा नहीं हो सकता है।हालांकि यह अवधारित करना एक अलग बात है कि तथ्य यह है कि एसे पक्षकार ऐसी सहमति वाली डिक्री को एक दूशरे के विरूद्ध विवन्धित कर दिया जाता है फिर भी मुआवजे के पुनर्निर्धारण के लिए आधार बना सकते है जो एक अधिनिर्णय के ऐसे पक्षकार नहीं है जो पक्षकारों के मध्य समझौते से उत्पन्न हुए है। दूसरे शब्दों में, जब धारा 28A यह प्रदान करती है कि निस्संदेह उन लोगों के लिए एक लाभ है जिन्होंने अधिनियम की धारा 18 के तहत अपने

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अधिकार का लाभ नहीं उठाया है, तो एक लाभकारी दृष्टिकोण लिया जा सकता है, न्यायालय विधि का आदेश देने वाले पर अपनी आँखें बंद नहीं कर सकता है।

30. विधायिका की इच्छा को प्रभावी बनाने के लिए अंतिम विश्लेषण में न्यायालय का क्षेत्र और कर्तव्य है।अन्य सिद्धांतों के साथ विधियों की व्याख्या के महत्वपूर्ण नियम पर चर्चा की गई, क्योंकि यह वास्तव में इस न्यायालय की संवैधांनिक पीठ द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

भारत और एक अन्य बनाम हंसोली देवी और अन्य[16] और जो अधिनियम की धारा 28 क के तहत भी उत्पन्न हुए। उन प्रश्नों में से एक जो स्पष्ट रूप से उत्पन्न हुए थे कि क्या अधिनियम की धारा 18 के तहत समय से परे दायर एक आवेदन को खारिज करना किसी व्यक्ति को धारा 28 ए लागू करने का अधिकार देगा।

> 9. इससे पहले कि हम यह जांच शुरू करें कि धारा 28–ए की सही व्याख्या क्या होगी, हम किसी क़ानून की व्याख्या के कुछ बुनियादी सिद्धांतों को ध्यान में रखना उचित समझते हैं।ससेक्स पीयरेज मामले में टिंडल, सीजे द्वारा कहा गया नियम [(1844) 11 Cl & amp Fin 85:8 ER 1034] अभी भी प्रयाग में है।उपरोक्त नियम का प्रभाव यह हैः(ईआर पी. 1057)
>
> यदि क़ानून के शब्द अपने आप में सटीक और स्पष्ट हैं, तो उन शब्दों को उनके प्राकृतिक और सामान्य अर्थों में उजागर करने से अधिक आवश्यक कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे मामले में शब्द स्वयं ही विधि बनाने वाले के उद्देश्य को अच्छी तरह से बताते है
>
> यह एक क़ानून के निर्माण का एक आधारभूत सिद्धांत है कि जब क़ानून की भाषा साफ–सुथरी और स्पष्ट है, तो न्यायालय को विधि में प्रयुक्त शब्दों को प्रभाव देना

16 (2002) 7 SCC 273

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

चाहिए और यह एक काल्पनिक निर्माण को अपनाने के लिए न्यायालयों के लिए इस आधार पर उपलबध हीं होगा कि वह इस तरह का निर्माण अधिनियम की कथित वस्तु और नीति के अनुरूप हों।किर्कनेस बनाम जॉन हडसन एंड कंपनी लिमिटेड [(1955) 2 ऑल ईआर 345:1955 एसी 696: (1955) 2 डब्ल्यूएलआर 1135] लॉर्ड रीड ने बताया कि "अस्पष्ट" का अर्थ क्या है और यह अवधारित किया गया किः (सभी ईआर पी. 366 सी–डी)

एक प्रावधान केवल इसलिए अस्पष्ट नहीं है क्योंकि इसमें एक शब्द है जो विभिन्न संदर्भों में अलग–अलग अर्थों में सक्षम है।किसी भी लंबाई का एक वाक्य कहीं भी खोजना मुश्किल होगा जिसमें ऐसा शब्द नहीं है।मेरे निर्णय में, एक प्रावधान केवल तभी अस्पष्ट है जब इसमें कोई शब्द या वाक्यांश हो जो उस विशेष संदर्भ में एक से अधिक अर्थ रखने में सक्षम हो। "

इसकी सत्यता पर कोई संदेह नहीं है कि अगर क़ानून की भाषा के सामान्य अर्थ को देखेने पर, यह विसंगतियों, अन्याय और गैरबराबरी की ओर जाता है, तो न्यायालय उस उद्देश्य पर गौर कर सकती है जिसके लिए क़ानून लाया गया है और एक अर्थ देने की कोशिश करेगा, जो क़ानून के उद्देश्य का पालन करेगा।पतंजलि शास्त्री, अश्विनी कुमार घोष बनाम अरबिंद घोष [AIR 1952 SC 369:1953 SCR 1] के मामले में सीजे ने माना था कि किसी क़ानून में शब्दों को अलग करने के लिए निर्माण का एक अच्छा सिद्धांत नहीं है, क्योंकि यह अनुचित अधिशेष है, यदि वे क़ानून के चिंतन के भीतर परिस्थितियों में उपयुक्त बदलाव कर सकते हैं। क्यूबेक रेलवे, लाइट हीट एंड पावर कंपनी लिमिटेड बनाम वांद्री [AIR 1920 PC 181] में यह देखा गया था कि विधायिका को अपने शब्दों को बर्बाद करने या व्यर्थ में कुछ भी कहने के लिए नहीं माना जाता है और एक निर्माण जो विधायिका को अतिरेक का श्रेय देता है, उसे अनिवार्य कारणों को छोड़कर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इसी तरह, किसी क़ानून में शब्दों को जोड़ने की अनुमति नहीं है जो तब तक नहीं है जब तक कि एक शाब्दिक निर्माण को क़ानून का एक हिस्सा दिए जाने पर अर्थहीन हो जाता है।लेकिन इससे पहले कि अधिनियम में किसी चूक को ठीक करने के लिए कोई शब्द पढ़ा जाए, यह निश्चित रूप से कहना संभव होना चाहिए कि ये शब्द ड्राफ्ट्समैन द्वारा डाले गए होंगे और विधायिका द्वारा अनुमोदित किए गए होंगे, एक कानून में बिल के पारित होने से पहले चूक पर उनका ध्यान आकर्षित किया गया था। ।कई बार, विधायिका की मंशा स्पष्ट पाई जाती है, लेकिन क़ानून में कुछ शब्दों को पेश करने में ड्राफ्ट्समैन की अकुशलता भाषा की स्पष्ट अक्षमता में होती है और ऐसी स्थिति में,

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

न्यायालय के लिए अधिशेष शब्द को अस्वीकार करना स्वीकार्य हो सकता है, ताकि क़ानून को प्रभावी बनाया जा सके। उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा हमें संदर्भित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आइए अब अधिनियम की धारा 28–ए के प्रावधानों की जांच करें, इसकी सत्यता पर कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम की धारा 28–ए का उद्देश्य एक संदर्भ बनाने का अधिकार प्रदान करना था, (कागज फटा) जिसने धारा 18 के तहत पहले एक संदर्भ नहीं बनाया जा सकता है और इसलिए, आमतौर पर जब कोई व्यक्ति धारा 18 के तहत एक संदर्भ बनाता है, लेकिन इसे देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया था, उसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 28–ए का अधिकार नहीं मिलेगा जब कोई अन्य व्यक्ति संदर्भ देता है और संदर्भ का उत्तर दिया जाता है।लेकिन संसद ने धारा 28–ए को एक लाभकारी प्रावधान के रूप में अधिनियमित किया है, यह बहुत अन्याय का कारण होगा यदि अधिनियम की धारा 28–ए में "धारा 18 के तहत कलेक्टर को आवेदन नहीं किया था" अभिव्यक्ति को शाब्दिक व्याख्या दी जाती है। पूर्वोक्त अभिव्यक्ति का अर्थ होगा कि यदि भूस्वामी ने धारा 18 के तहत संदर्भ के लिए एक आवेदन किया है और उस संदर्भ का संज्ञान लिया गया है और उत्तर दिया गया है। दूसरे शब्दों में, एक भूस्वामी के लिए एक संदर्भ बनाने और इसका उत्तर प्राप्त करने की अनुमति नहीं हो सकती है और फिर बाद में एक और आवेदन करें जब किसी अन्य व्यक्ति को संदर्भ का उत्तर मिलता है और एक उच्च राशि प्राप्त करता है।वास्तव में प्रदीप कुमारी मामले में [(1995) 2 एससीसी 736] तीन विद्वत न्यायाधीशों ने संतुष्ट होने के लिए शर्तों की गणना करते हुए, उसके बाद धारा 28–ए के तहत एक आवेदन को स्थानांतरित किया जा सकता है, ने स्पष्ट रूप से कहा था (एससीसी पी। 743, पैरा 10) "आवेदन करने वाले व्यक्ति ने धारा 18 के तहत कलेक्टर को आवेदन नहीं किया।""आवेदन नहीं किया", जैसा कि इस न्यायालय द्वारा देखा गया है, का अर्थ होगा, एक प्रभावी आवेदन नहीं किया जो संदर्भ बनाकर संज्ञान लिया गया था और संदर्भ का उत्तर दिया गया था।जब धारा 18 के तहत एक आवेदन को सीमा के आधार संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो किसी भी संदर्भ में फलदायी नहीं है, तो यह एक प्रभावी आवेदन के लिए नहीं होगा और परिणामस्वरूप किसी अन्य संदर्भ से निकलने वाले ऐसे आवेदक के अधिकारों को एक आवेदन को स्थानांतरित करने के लिए उत्तर दिया जाना है को धारा 28–ए के तहत इनकार नहीं किया जा सकता है।हम तदनुसार प्रश्न 1 (ए) का उत्तर देते हैं कि देरी के आधार पर धारा 18 के तहत संदर्भ मांगने वाले आवेदन को खारिज करना भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 28–ए के अर्थ के भीतर एक आवेदन दायर नहीं करने के बराबर होगा। '

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

31. हम सोचेंगे कि, इसलिए, सहमति डिक्री से उत्पन्न होने वाली या लोक अदालत द्वारा पारित एक पुरस्कार से उत्पन्न होने वाली याचिका, जिसे शायद सहमति के निर्णय की तुलना भी की जा सकती है, मुआवजे के पुनर्वितरण का आधार नहीं हो सकती है। धारा 28 ए वास्तव में एक सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय पर जोर देती है जैसा कि धारा 2 (एल) में परिभाषित है।दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 28 क को लागू करने के लिए जो एकमात्र आधार बनाया गया है, वह न्यायालय द्वारा एक अधिनिर्णय है जैसा कि अधिनियम में परिभाषित किया गया है। विवधंन की दलील, जो आमतौर पर, लोक अदालत द्वारा पारित सहमति डिक्री या पुरस्कार से उत्पन्न होती है, जिसमें पहले से ही देखा गया है, न्यायालय द्वारा किसी भी निर्णय को शामिल नहीं करता है, शायद ही पर्याप्त होगा।इस न्यायालय द्वारा संदर्भित विवंधन सहमति डिक्री के लिए पक्षकारों के बीच लागू होता है।

32. यह हमें अगले प्रश्न पर लाता है, अर्थात, अधिनियम, 1987 की धारा 21 का निहितार्थ जिसके तहत लोक अदालत के पुरस्कार को एक डिक्री के रूप में माना जाना है।उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थियों के विवाद को आक्षेपित रखने के लिए धारा 21 पर निर्णय लिया है। तर्क इस प्रकार हैः

लोक अदालत द्वारा पारित एक पुरस्कार 1987 अधिनियम की धारा 21 के तहत एक दीवानी न्यायालय के एक डिक्री के रूप में लिया जाना है। धारा 28 क के लिए जो आवश्यक है वह दीवानी न्यायालय द्वारा मुआवजे का पुनर्वितरण है।इसलिए, लोक अदालत का पुरस्कार, इस तरह के तर्क के साथ,

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अधिनियम की धारा 28 ए के तहत विचार किए गए निर्णय के साथ सम्मिलित किया जाना है।

33. केएन गोविंदन कुट्टी मेनन बनाम सीडी शाजी[17] में, यह न्यायालय इस प्रश्न से संबंधित था कि क्या 1987 अधिनियम की धारा 21 के तहत, जब कोई मामला परक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत एक आपराधिक मामले में लोक अदालत को भेजा जाता है और मामला सुलझा लिया जाता है और एक पुरस्कार पारित किया जाता है, चाहे इसे दीवानी न्यायालय की डिक्री के रूप में माना जा सकता है और, इस प्रकार, यह निष्पादन योग्य है। न्यायालय ने यह अवधारित कियाः

> ''23. अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में साक्ष्य के रूप में एक वैधानिक समर्थन न केवल नियमित अदालतों में काम के बकाया के बोझ को कम करेगा, बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों के दरवाजे तक न्याय ले जाएगा और न्याय को तेज और कम खर्चीला बनाएगा।वर्तमान मामले में, निचली अदालतों ने यह मानने में त्रुटि किया कि केवल मामला एक था जिसे एक सिविल न्यायालय द्वारा संदर्भित किया गया था, तो यह एक डिक्री हो सकती है और यदि मामला एक आपराधिक न्यायालय द्वारा संदर्भित किया गया था, तो यह केवल आपराधिक न्यायालय का एक आदेश होगा और अधिनियम की धारा 21 के तहत एक डिक्री नहीं हे। अधिनियम एक दीवानी न्यायालय और एक आपराधिक न्यायालय द्वारा किए गए संदर्भ के बीच ऐसा कोई अंतर नहीं करता है।एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत एक आपराधिक न्यायालय द्वारा संदर्भित एक मामले में पार्टियों के बीच आए समझौते के आधार पर एक अधिनिर्णय पारित करने के लिए लोक न्यायालय की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है, और निस्तारण प्रावधान के आधार पर इसे होना चाहिए कि एक सिविल कोर्ट द्वारा निष्पादन में सक्षम डिक्री के रूप में माना जाता है।इस संबंध में, सुभाष नरसप्पा मंगरुल [(2009) 3 माह एलजे 857] और वलारमती ऑयल

17 (2012) 2 SCC 51

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

इंडस्ट्रीज [एआईआर 2009 मैड 180] में लिया गया दृष्टिकोण इस विवाद का समर्थन करता है और हम इसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। "

34. इसके बाद न्यायालय इस प्रकार निष्कर्ष निकालता हैः

26. उपरोक्त चर्चा से, निम्नलिखित प्रस्ताव सामने आते हैंः

(1) अधिनियम की धारा 21 की अस्पष्ट भाषा को ध्यान में रखते हुए, लोक न्यायालय के प्रत्येक पुरस्कार को सिविल न्यायालय का डिक्री माना जाएगा और इस तरह यह उस न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य है।17 (2012) 2 एससीसी 51

(2) अधिनियम दीवानी न्यायालय और दांडिक न्यायालय द्वारा किए गए निर्देश के बीच ऐसा कोई अंतर नहीं करता है

(3) लोक अदालत की विभिन्न अदालतों (दीवानी और आपराधिक दोनों), न्यायाधिकरणों, पारिवारिक न्यायालय, किराया नियंत्रण अदालत, उपभोक्ता निवारण मंच, मोटर दुर्घटनाएं दावा न्यायाधिकरण और समान प्रकृति के अन्य मंचों द्वारा निर्दिष्ट मामलों के संबंध में पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर एक पुरस्कार पारित करने की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(4) यदि किसी मामले को दांडिक न्यायालय द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अधीन निर्दिष्ट किया जाता है और निस्तारण उपबंधों के आधार पर, लोक न्यायालय द्वारा समझौते के आधार पर पारित अधिनिर्णय को दीवानी न्यायालय द्वारा निष्पादन के लिए सक्षम डिक्री माना जाता है

35. इस सिद्धांत के साथ कोई झगड़ा नहीं हो सकता है कि अवधारण के उद्देश्य की ठीक से सराहना की जा रही है, यहां तक कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत एक मामले में, जब एक संदर्भ का पालन किया जाता है, तो 1987 अधिनियम के तहत एक अधिनिर्णय पारित

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

किया जाता है तो यह अधिनिर्णय को डिक्री के रूप में लागू करने के उद्देश्य से एक डिक्री के रूप में मानने के उद्देश्य के अनुरूप है।

36. जब विधायिका द्वारा एक कानूनी कथा को नियोजित किया जाता है, तो इसकी व्याख्या करना और इसका अर्थ देना न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है।अपने अर्थ को महत्वता देने में, न्यायालय इस विधायी उपकरण के उद्देश्य का पता लगाने के लिए बाध्य है।कानूनी कल्पना को उसके तार्किक अंत तक ले जाने के मामले में, प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा तर्क के रूप में न्यायालय निस्संदेह अपने विवेक को चकमा देने की अनुमति नहीं दे सकता है। लेकिन यह धारण करने के समान नहीं है कि न्यायालय अधिनियम की वस्तु और विशेष रूप से, प्रश्न में कल्पना को नहीं देखेगा।इस संबंध में, हम कर्नाटक राज्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य [18] में इस न्यायालय के निर्णय पर ध्यान देते हैंः

> 75. इस संदर्भ में, हम महत्वपूर्ण रूप से जीपी सिंह द्वारा 14 वें संस्करण के वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों का उल्लेख कर सकते हैं।
>
> > विद्वत लेखक ने इस प्रकार व्यक्त किया हैः"विधिक अवधारण सृजित करने वाले उपबंध की व्याख्या करते हुए, न्यायालय को यह पता लगाना है कि अवधारण किस प्रयोजन के लिए सृजित की गई है [त्रावणकोर–कोचीन बनाम शनमुघा विलास काशेनट फैक्ट्री, एआईआर 1953 एससी 333 बम्बई राज्य बनाम पांडुरंग विनायक, एआईआर 1953 एससी 244:1953 क्रि. एल. जे. 1094], और इसका पता लगाने के पश्चात् न्यायालय को उन सभी तथ्यों और परिणामों का अनुमान लगाना करना है जो अवधारणा को प्रभावी बनाने के लिए आकस्मिक या अपरिहार्य उपसिद्धातं हैं। [ईस्ट एंड डवेलिंग्स कंपनी लिमिटेड

18 (2017) 3 SCC 362

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

बनाम फिन्सबरी बरो काउंसिल, 1952 एसी 109: (1951) 2 ऑल ईआर 587 (एचएल); सीआईटी बनाम तेजा सिंह, एआईआर 1959 एससी 352] लेकिन इस प्रकार कल्पना को उस प्रयोजन से आगे नहीं बढ़ाया जाना है जिसके लिए इसे बनाया गया है। [सीआईटी बनाम शकुंतला, एआईआर 1966 एससी 719; मंचेरी पुथुसेरी अहमद बनाम कुथिरावत्तम एस्टेट रिसीवर, (1996) 6 एससीसी 185: एआईआर 1997 एससी 208] इसे एक अन्य उपधारणा अर्थ को विस्तारित नहीं किया जा सकता है। [सी. आई. टी. बनाम मून मिल्स लि., ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 870] ऊपर वर्णित सिद्धांत "सुस्थापित" हैं [पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सदन के. बोरमल, (2004) 6 एस. सी. सी. 59:2004 एस. सी. सी. (अपराध) 1739: ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 3666] विधि को कार्यशील बनाने के लिए विधिक अवधारणा की भी संकीर्ण व्याख्या की जा सकती है[नंदकिशोर गणेश जोशी बनाम कमिश्नर, नगर निगम कल्याण और डोंबिवली, (2004) 11 एससीसी 417: एआईआर 2005 एससी 34]

76. अनीता हाड़ा बनाम गॉडफादर ट्रैवल्स एंड टूर्स [अनीता हाड़ा बनाम गॉडफादर ट्रैवल्स एंड टूर्स, (2012) 5 एससीसी 661: (2012) 3 एससीसी (सीआईवी) 350: (2012) 3 एससीसी (क्रिम) 241] में, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार निर्णय सुनायाः (एससीसी पृष्ठ 681, पैरा 37–38)

"37 तमिलनाडू राज्य बनाम अरूरण शुगर्स लिमिटेड में [स्टेट ऑफ टीएनवी अरुण शुगर्स लि. , (1997) 1 एससीसी 326] संविधान पीठ ने एक क़ानून में आधारभूत प्रावधान पर विचारण के बाद फैसला सुनाया कि कानूनी अवधारणा बनाने वाले क़ानून में प्रावधान की भूमिका अच्छी तरह से तय है। खान के मुख्य निरीक्षक बनाम करम चंद थापर [खान के मुख्य निरीक्षक बनाम करम चंद थापर, एआईआर 1961 एससी 838: (1961) 2 क्रि एलजे 1], जेके कॉटन स्पॉट और डब्ल्यूवीजी मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ [जेके कॉटन स्पॉट। और डब्ल्यूवीजी मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, 1987 सप्लीमेंट एससीसी 350:1988 एससीसी (कर) 26], एम वेणुगोपाल बनाम एलआईसी [एम। वेणुगोपाल बनाम एलआईसी, (1994) 2 एससीसी 323:1994 एससीसी (एल एंड एस) 664] और हरीश टंडन बनाम एडीएम, इलाहाबाद [हरीश टंडन बनाम एडीएम, इलाहाबाद (1995) 1 एससीसी 537] और यह माना गया था कि जब कोई क़ानून यह कहते हुए एक कानूनी अधारणा बनाता है कि कुछ ऐसा माना जाएगा जो वास्तव में किया गया है और सच्चाई नहीं की गई है , तो

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

न्यायालय को यह जांचना और पता लगाना है कि किस उद्देश्य के लिए और किन व्यक्तियों के बीच ऐसा वैधानिक अवधारणा का सहारा लेना है और उसके बाद, अदालतों को इस तरह के वैधानिक अवधारणा को पूरा प्रभाव देना है और इसे अपने तार्किक निष्कर्ष पर ले जाना है।

38. पूर्वोक्त घोषणाओं से, जिस सिद्धांत को समाप्त किया जा सकता है, वह यह है कि यह पता लगाना न्यायालय का बाध्य कर्तव्य है कि कानूनी अवधारणा किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है।न्यायालय का यह भी कर्तव्य है कि वह सभी वास्तविक परिणामों और उदाहरणों के साथ अवधारणा की कल्पना करे जब तक कि ऐसा करने से निषिद्ध न हो।इसके अलावा, 'समझा' शब्द के उपयोग को इसके संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए और आगे, पूर्ण तार्किक उद्देश्य और अर्थ को समझना होगा।ऐसा इसलिए है क्योंकि आधुनिक विधान में "समझा गया" शब्द का प्रयोग कई प्रयोजनों के लिए किया गया हैविधायिका के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। "

37. जिन सिद्धांतों को निर्धारित किया गया है, उनके प्रकाश में, हमारा निम्नलिखित दृष्टिकोण हैं।

1987 अधिनियम के तहत लोक अदालत द्वारा पारित एक पुरस्कार एक गैर–सहायक प्रक्रिया की परिणति है।पक्षकारों को लोक अदालत के सदस्यों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति से समझौते पर पहुंचने के लिए भी राजी किया जाता है।पुरस्कार शर्तों को निर्धारित करता है। धारा 21 में निहित प्रावधान जिनके द्वारा अधिनिर्णय को माना जाता है कि यदि यह एक डिक्री थी, तो केवल इसका उद्देश्य अधिनिर्णय को प्रवर्तनीय कराना है।धारा 21 के प्रावधानों के मद्देनजर, जिसके द्वारा इसे एक डिक्री के रूप में माना जाना है, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती है, निस्संदेह, इसे निषिद्ध करने वाले व्यक्त प्रावधानों के मद्देनजर अपील के माध्यम से, जब तक कि इसे अन्य उपयुक्त कार्यवाही में

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अपास्त नहीं किया जाता है तो यह लागू करने योग्य हो जाता है।विधि बनाने वाले का उद्देश्य केवल इसे लागू करने की प्रक्रिया प्रदान करना है जैसे कि यह एक डिक्री थी।इस प्रकार, अधिनिर्णय को एक डिक्री के रूप में माना जाने वाला विधिक अवधारणा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

38. श्री ध्रुव मेहता का आगे तर्क यह है कि लोक अदालत के अधिनिर्णय के अलावा एक डिक्री के रूप में माना जा रहा है, यह भी न्यायालय के एक आदेश के रूप में माना जा सकता है, जैसा भी मामला हो।इस संबंध में, हमने पहले ही 1987 अधिनियम की योजना पर ध्यान दिया है। हमने 'वाद' शब्द और 'न्यायालय' शब्द की परिभाषा पर विचार किया है।हमने धारा 19 (5) और धारा 20 (1) के प्रावधानों पर भी ध्यान दिया है।इन प्रावधानों का षड्यंत्र निम्नलिखित परिणाम देगा।

धारा 19 (2) के तहत गठित लोक न्यायालय में किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी मामले के संबंध में विवादित पक्षकारों के बीच निस्तारण या समझौता करने के लिए क्षेत्राधिकार होगा, जिसके लिए लोक न्यायालय का आयोजन किया जाता है।इस संदर्भ में 'कोर्ट' शब्द का अर्थ धारा 2 (एएए), एक नागरिक, आपराधिक या राजस्व न्यायालय में परिभाषित न्यायालय से होगा। 'न्यायालय' शब्द में किसी भी न्यायाधिकरण या किसी भी कानून के तहत गठित किसी भी प्राधिकरण को शामिल किया गया है जो न्यायिक या यहां तक कि अर्ध–न्यायिक कार्यों का अभ्यास करने के लिए है।इस प्रकार, 1987 अधिनियम में धारा 19(5) के संदर्भ में 'न्ययालय' शब्द 1987 अधिनियम की

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

धारा 2(एएए) में संदर्भित निकायों को शामिल करता है। लोक अदालतों द्वारा संज्ञान लेने का तरीका धारा 20(1) के साथ पठित धारा 19(5) में दिया गया है।धारा 2 (एए) में परिभाषित न्यायालय मामले को लोक अदालत में संदर्भित कर सकता है।इस तरह की न्यायालय, जैसा कि पहले से ही देखा गया है, सिविल, आपराधिक या राजस्व न्यायालय हो सकती है।यह एक न्यायाधिकरण या प्राधिकरण भी हो सकता है। जब लोक अदालत के आयोजन के परिणामस्वरूप एक अधिनिर्णय के रूप में सफलता प्राप्त होती है, तो शब्द, जैसा भी मामला हो, धारा 21 में यह भविष्यवाणी करता है कि यह किसी सिविल कोर्ट के डिक्री के बजाय किसी अन्य अदालत का आदेश हो सकता है। अपीलार्थी के विद्वत अधिवक्ता बताते हैं कि यदि कोई आपराधिक न्यायालय निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत किसी मामले को लोक अदालत में भेजता है और लोक अदालत एक अधिनिर्णय पारित करती है तो इस तरह के अधिनिर्णय को न्यायालय के आदेश के रूप में माना जाएगा। हालाँकि, इस संबंध में, हमने केएन गोविंदन कुट्टी मेनन (उपरोक्त) में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के निर्णय पर ध्यान दिया है। यहां तक कि जब आपराधिक न्यायालय इस मामले को निष्पादन योग्य बनाने के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत संदर्भित करता है, तो इस न्यायालय ने यह विचार किया है कि इसे एक डिक्री के रूप में माना जाएगा।

39. यदि कोई राजस्व न्यायालय या अधिकरण, जो निस्संदेह, 1987 अधिनियम की धारा 2 (एएए) के अंतर्गत आता है तो वह धारा 20 (1) के

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

तहत लोक अदालत को एक मामले को संदर्भित करता है और एक अधिनिर्णय पारित किया जाता है तो यह न्यायालय / न्यायाधिकरण का आदेश बन सकता है।दूसरे शब्दों में, यदि मामला अंततः नियमित आधार पर समाप्त हो जाता है, अर्थात, लोक अदालत के संदर्भ के बिना, यह एक आदेश होगा जिसे पारित किया जाएगा।

40. हालांकि, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ध्रुव मेहता के अनुसार, तर्क यह प्रतीत होता है कि इस विधायी उपकरण के आधार पर, लोक अदालत को निष्पादित करने वाली धारा 18 के तहत संदर्भ न्यायालय द्वारा इन मामलों में पारित लोक अदालत के अधिनिर्णय को अधिनियम की धारा 28 क के तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश के रूप में पारित जाना चाहिए। अब हम धारा 28 क के तहत आवश्यकता पर विचार करने के बाद इस प्रश्न का उत्तर देंगे।

41. धारा 28 क, निस्संदेह, संसद द्वारा वर्ष 1984 में उन भूमि मालिकों या भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को उनके कारण उचित राशि का दावा करने के लिए सांत्वना देने के लिए पेश की गई है, भले ही उन्होंने वृद्धि की मांग करने वाले अधिनियम की धारा 18 के तहत आवेदन दायर करने के लिए छोड़ दिया हो। वास्तव में, जोस एंटोनियो क्रूज़ डॉस आर रोड्रिग्स और एक अन्य बनाम भूमि अधिग्रहण कलेक्टर और एक अन्य[19] में, इस न्यायालय ने तीन विद्वत न्यायाधीशों की एक खंडपीठ में, यह माना है कि अधिनियम की धारा 28 ए को लागू करने के लिए तीन महीने की सीमा की अवधि मूल न्यायालय द्वारा आदेश

19 (1996) 6 SCC 746

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

पारित करने की तारीख से शुरू होगी, न कि अपीलीय न्यायालय की तारीख से। भारत संघ और एक अन्य बनाम हंसोली देवी और अन्य उपरोक्त में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने माना है कि धारा 28 ए के तहत अधिकार उस व्यक्ति को भी उपलब्ध है, जिसने धारा 18 के तहत असफल रूप से एक समय वर्जित आवेदन दायर किया है, तथ्य यह है कि एक भूमि मालिक को भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा विरोध के साथ या बिना दिए गए मुआवजे को धारा 28 ए के तहत अपना अधिकार नहीं छीना जाएगा।

42. क्या न्यायालय कानून की सादी भाषा से बेखबर हो सकता है? क्या हम विधायिका की आवाज को नजरअंदाज कर सकते हैं जब यह स्पष्ट और अस्पष्ट हो? अधिनियम के भाग 3 में धारा 28 क के आंकड़े हैंशीर्षक 'न्यायालय के पुरस्कार के आधार पर मुआवजे की राशि का पुनः निर्धारण' के रूप में है।हमारे दृष्टिकोण से प्रारम्भिक शब्दों में प्रतिवादी के तर्कों के प्रारम्भिक आधार का निस्तारण करना एक घातक झटका हैअधिनियम के भाग III के तहत एक पुरस्कार धारा 18 के तहत एक संदर्भ के साथ शुरू होता है।न्यायालय विशेष रूप से उन मामलों को ध्यान में रखते हुए संदर्भ को स्थगित करने के लिए आगे बढ़ता है जिन्हें अधिनियम की धारा 23 के तहत माना जाना है।

43. धारा 24 उन मामलों की घोषणा करती है जिन्हें मुआवजे के निर्धारण में उपेक्षित किया जाना है।धारा 26 अधिनिर्णय के रूप से संबंधित है।धारा 26 (2) इस प्रकार हैः

26. अधिनिर्णय के प्रकार

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

.....

(2) ऐसे प्रत्येक अधिनिर्णय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के क्रमशः खंड (2) और खंड (9) के अर्थान्तर्गत निर्णय देने वाली डिक्री और ऐसे प्रत्येक अधिनिर्णय के आधारों का कथन समझा जाएगा

44. लोक अदालत द्वारा पारित पुरस्कार को भाग III के तहत पारित अधिनिर्णय नहीं कहा जा सकता है। यह लोक अदालत से पहले पक्षकारों के बीच हुआ समझौता है जो लोक अदालत द्वारा पुरस्कार में परिणत होता है। वास्तव में, अधिनियम के भाग III के तहत एक अधिनिर्णय आधार या कारणों पर विचार करता है और इसलिए, स्थगन पर विचार किया जाता है और अधिनियम की धारा 26 (2) स्व–व्याख्यात्मक है।

45. अगला पहलू प्रतिवादियों के मामले के लिए और भी घातक है।यह न केवल स्थगन के परिणामस्वरूप पारित एक अधिनिर्णय होना चाहिए, बल्कि इसे 'न्यायालय' द्वारा पारित किया जाना चाहिए, जो कलेक्टर द्वारा दी गई राशि से अधिक मुआवजे की अनुमति देता है। 'न्यायालय' शब्द को अधिनियम में मूल अधिकारिता के प्रधान सिविल न्यायालय के रूप में परिभाषित किया गया है जब तक कि समुचित सरकार ने इस अधिनियम के अधीन न्यायालय के न्यायिक कृत्य करने के लिए एक विशेष न्यायिक अधिकारी नियुक्त नहीं किया है। हमने '1987 अधिनियम' की धारा 19 (2) में एक लोक न्यायालय की संरचना पर ध्यान दिया है।न्यायालय लोक अदालत के समान नहीं है।

46. लोक अदालत द्वारा अपने आप में अधिक कुछ के बिना पारित पुरस्कार को एक डिक्री होने के लिए आधारभूत अवधारणा के द्वारा माना जाना है।यह

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

ऐसा मामला नहीं है जहां पार्टियों के बीच नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXIII के तहत एक समझौता हुआ है और न्यायालय समझौते पर विचार करने और खुद को संतुष्ट करना है कि यह विधि पूर्ण है और यह धारा 21 के आधार पर क्षमता को अवधारित करता है।कुछ और के बिना, लोक अदालत द्वारा पारित पुरस्कार एक डिक्री बन जाता है।मुआवजे की वृद्धि विशुद्ध रूप से समझौते के आधार पर निर्धारित की जाती है जो अधिनियम में परिभाषित 'न्यायालय' के किसी भी निर्णय के परिणामस्वरूप नहीं है।

47. लोक अदालत द्वारा पारित एक पुरस्कार एक समझौता डिक्री नहीं है।लोक अदालत द्वारा परित अधिनिर्णय बिना किसी और बढ़ोत्तरी के अन्य बातों के साथ–साथ एक डिक्री के रूप में माना जायेगा। पी.टी. थोमस (उपरोक्त) में केरला उच्च न्यायालय की विद्वत एकल पीठ के दृष्टिकोण को हम स्वीकृत करते है। एक पुरस्कार जब तक कि इसे उचित कार्यवाही में सफलतापूर्वक पूछताछ नहीं की जाती है, अपरिवर्तनीय और गैर–हिंसक हो जाता है।सिविल प्रक्रिया के आदेश XXIII संहिता के तहत आने वाले समझौते के मामले में, समझौता की शर्तों पर अपने विवेक को लागू करना न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है।कुछ और के बिना, पार्टियों के बीच मात्र समझौते में न्यायालय का प्रभाव नहीं है।यह केवल एक समझौता डिक्री बन जाता है जब संहिता में प्रक्रियाएं होती हैं।

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

48. 1987 अधिनियम की धारा 19 के तहत पारित एक पुरस्कार समझौता का एक उत्पाद है।समझौता के बिना, लोक अदालत अधिकार क्षेत्र खो देती है। मामला न्यायनिर्णयन के लिए न्यायालय में वापस जाता है।समझौता करने के लिए और पार्टियों की मंजूरी के साथ लिखने के लिए शर्तों को कम किया जा रहा है, यह एक अधिनिर्णय की सहारे में माना जाता है जो किसी और के बिना ड्रिक्री में परिवर्तित हो जाता है।हम सोचेंगे कि 1987 अधिनियम की धारा 19 के तहत पारित इस तरह के एक पुरस्कार को अदालत के एक पुरस्कार के बराबर माना जाना विधायी इरादा नहीं हो सकता है जो अधिनियम में परिभाषित किया गया है जैसा कि पहले से ही हमारे द्वारा नोट किया गया है और अधिनियम के भाग III के तहत बनाया गया है। धारा 28 क में न्यायालय के एक पुरस्कार को भी एक डिक्री के रूप में माना जाता है।ऐसा पुरस्कार निष्पादन योग्य हो जाता है।यह भी अपील योग्य है।अधिनियम के भाग III में एक निश्चित योजना शामिल है जिसमें आवश्यक रूप से न्यायालय द्वारा निर्णय और मुआवजे पर पहुंचना शामिल है। यह वह है जो धारा 28 क को लागू करके उसी अधिसूचना के अधीन दावे को दबाने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए आधार बना सकता है। हम इस प्रकृति के किसी मामले में धारा 28 क के अधीन दिए गए अधिकार के रूप में पुनर्वितरण के आधार के रूप में 'अपवित्र' समझौते की संभावना से पूरी तरह अनजान नहीं हो सकते।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

49. इसलिए, हम उमादेवी राजकुमार ज्यूरे उपरोक्त और वासुदेव उपरोक्त में कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा उठाए गए दृष्टिकोण को मंजूरी देंगे और मानते हैं कि लोक अदालत द्वारा 1987 अधिनियम की धारा (20) के तहत पारित एक अधिनिर्णय धारा 28क को लागू करने का आधार नहीं हो सकता है।

50. जहां तक उत्तरदाताओं का यह तर्क है कि 12.3.2016 के पुरस्कार को अधिनियम की धारा 28 ए के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 18 के अर्थ के भीतर न्यायालय के आदेश के रूप में माना जा सकता है, हम इस तरह के तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं।आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 2003 में SCC ONLINE AP 21 उपरोक्त में रिपोर्ट किए गए मामले के तथ्यों के विपरीत, जिसे बॉम्बे हाईन्यायालय ने उमादेवी उपरोक्त में इस स्कोर पर प्रतिष्ठित किया है कि आंध्र प्रदेश से मामले में, संदर्भ न्यायालय ने लोक अदालत के समक्ष पक्षकारों के बीच एक समझौते के आधार पर एक पुरस्कार पारित किया है, इस मामले में, 12.3.2016 का पुरस्कार लोक अदालत द्वारा पारित पुरस्कार है। यह उच्च न्यायालय के निर्णय, उसके समक्ष पक्षकारों के मामले और निर्णय दिनांक 12.3.2016 की शर्तों से स्पष्ट है।दूशरे शब्दों में, आक्षेपित आदेश के तहत LAR 6 (फतेह मोहम्मद बनाम यूपी राज्य) में लोक अदालत को संदर्भित था जो कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश/FTC No. 2, गौतम बौद्ध नगर, यूपी है, इस प्रकार दिनांकित 12.03.2016 की कार्यवाही जिसे प्रत्यर्थियों के

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

द्वारा अवलंब लिया जाता है वह स्वयं में एक अधिनिर्णय है जिसे 1987 अधिनियम की धारा 20 के तहत पारित किया गया था जो एक आदेश के तहत माना जा सकता है।दूसरे शब्दों में, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोक अदालत के रूप में कार्य कर रहे थे।ऐसा तब भी है जब मंगू राम में उच्च न्यायालय के निर्णय पर पक्षकारों द्वारा भरोसा किया गया था और इसे अधिनिर्णय के रूप में भी संदर्भित किया गया है।वह अधिनियम के अर्थ के भीतर 'न्यायालय' के रूप में मामले का निस्तारण नहीं करेंगें। इसे 1987 अधिनियम की धारा 20 और 21 के अर्थ के भीतर न्यायालय के अधिनिर्णय के रूप में भी नहीं माना जा सकता है।

51.हमने अपीलकर्ता के मामले पर भी ध्यान दिया है कि मंगू राम उपरोक्त में उच्च न्यायालय का निर्णय, जिसने दर को 297.50 रुपये प्रति वर्ग गज पाया, धारा (4) के तहत अधिसूचना के संबंध में गलत था, जो हमारे समक्ष मामलों के लिए प्रासंगिक है और यह कि एक समीक्षा याचिका भी दायर की गई है और लंबित है।

52. सभी परिस्थितियों और इस मामले के तथ्यों के संबंध में हम निम्नलिखित आदेश पारित करना उचित समझते हैंः

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(1) अपील को अनुमति है। हम घोषणा करते हैं कि अधिनियम की धारा 28 क के अधीन आवेदन लोक अदालत द्वारा 1987 अधिनियम की धारा 20 के अधीन पारित अधिनिर्णय के आधार पर नहीं रखा जा सकता है। आक्षेपित निर्णय अपास्त किए गए हैं।संबंधित लागतों को पक्षकार स्वयं वहन करें।

.....

न्यायमूर्ति [के.एम. जोसेफ]

.....

न्यायमूर्ति [पामिदिघनटम श्री नरसिम्हा]

नई दिल्ली;

03 फरवरी, 2022.

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।